



तथ्य पत्रक

आवेदकों के लिए जानकारी: आप्रवासन स्थिति का सत्यापन और USCIS में अपने रिकार्ड को कैसे सही करें

कई संघ, राज्य और स्थानीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल योग्य विदेशी या देशीयकृत और व्युत्पन्न नागरिक ही लाभ प्राप्त करें, लाभ आवेदकों की आप्रवासन स्थिति का सत्यापन करते हैं। संयुक्त राज्य नागरिकता और आप्रवासन सेवाएं (USCIS), यू.एस. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सिस्टमेटिक एलियन वेरिफिकेशन ऑफ इन्टाइटलमेंट (SAVE) कार्यक्रम के द्वारा एजेंसियां आप्रवासन स्थिति का सत्यापन करती हैं।

लाभ मंजूर करने वाली एजेंसी ने सत्यापन के लिए आपकी सूचनाएं SAVE कार्यक्रम में प्रस्तुत की हैं। चूंकि SAVE कार्यक्रम प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपकी आप्रवासन स्थिति की पुष्टि नहीं कर सकती है, जिसमें एजेंसी द्वारा USCIS को आपके आप्रवासन दस्तावेजीकरण की एक प्रति प्रदान करना शामिल है इसलिए आपको USCIS में आपके रिकार्डों को सही करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा और लाभ के लिए पुनः आवेदन करने और/या लाभ नामंजूर होने पर अपील करने का मौका दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि आपकी आप्रवासन स्थिति को सत्यापित करने में SAVE कार्यक्रम कई कारणों से असमर्थ हो सकता है। आपकी स्थिति को सत्यापित करने में SAVE कार्यक्रम की इस असमर्थता का निश्चित तौर पर यह मतलब नहीं है कि आप संयुक्त राज्य में रहने के लिए अधिकृत नहीं हैं या जिन लाभों के लिए आपने आवेदन किया है, उन्हें पाने के हकदार नहीं हैं।

यदि आप मानते हैं कि लाभ मंजूर करने वाली एजेंसी को SAVE कार्यक्रम द्वारा दिए गए जवाब में आपकी वास्तविक आप्रवासन स्थिति की सटीक जानकारी नहीं दी गई है और/या आप अपने

आप्रवासन रिकार्ड में सुधार करवाना चाहते हैं तो कृपया निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक का प्रयोग करते हुए USCIS से संपर्क करें:

1. स्थानीय कार्यालय USCIS में वैयक्तिक रूप से मुलाकात के लिए समय निर्धारण. आप स्थानीय USCIS कार्यालय में मुलाकात के लिए इंफोपास वेबसाइट <http://infopass.uscis.gov> पर या राष्ट्रीय ग्राहक सेवा केन्द्र को 1-800-375-5283 पर कॉल करके समय निर्धारित करें। मुलाकात के लिए समय निर्धारण अपने रिकार्ड को सुधारने का सबसे तेज तरीका है। हमारी सलाह है कि मुलाकात के समय यह तथ्य-पत्रक, अपनी आप्रवासन स्थिति का दस्तावेजी साक्ष्य, और लाभ मंजूर करने वाली एजेंसी द्वारा दी गई अन्य जानकारी कि आपकी आप्रवासन स्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए क्यों आपको अयोग्य बनाती है, को अवश्य साथ ले जायें।

2. लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना. यदि आपको पता है कि आपके रिकार्ड में किस सूचना को सही करने की जरूरत है तो आप निम्नलिखित पते पर फ्रीडम ऑफ इंफार्मेशन एक्ट/प्राइवैसी एक्ट (FOIA/PA) कार्यालय में अपने रिकार्ड को सुधारने के लिए अनुरोध कर सकते हैं:

Privacy Act Amendment
U.S. Citizenship and Immigration Services
National Records Center
FOIA/PA Office
P.O. Box 648010
Lee's Summit, MO 64064-8010

हम आपको आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी यदि उपलब्ध हो तो उसे शामिल करने की सलाह देते हैं :

- उल्लेख करें कि आप लाभ से वंचित थे
- जानकारी, जो सटीक नहीं है
- रिकार्ड में प्रस्तावित बदलाव
- जन्म की तारीख और स्थान
- वापसी पता
- आपके आप्रवासन/देशीयकरण स्थिति दस्तावेज की प्रतियां
- सटीक नहीं होने का कारण
- A-फाईल नम्बर और/या पूरा नाम
- आवेदक का नोटरीकृत हस्ताक्षर
- अन्य जानकारी जो रिकार्ड दृढ़ने में सहायक हो

यदि आपको यह नहीं पता है कि किस सूचना को सही करने की जरूरत है तो आप अपने रिकार्ड प्राप्त करने के लिए फॉर्म G-639 FOIA/PA अनुरोध प्रस्तुत करके लिखित अनुरोध दे सकते हैं। यह फॉर्म USCIS के नजदीकी कार्यालय में या <http://www.uscis.gov/files/form/g-639.pdf> पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको दिए गए पते का उपयोग करना चाहिए लेकिन लिफाफे पर "Privacy Act Amendment" की जगह "Privacy Act request" लिखें।